मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 77/2024

विमला पत्नी मदनलाल जाति कुम्हार (प्रजापति) साकिन वार्ड नं. 10 मंडी पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।

– वादिया

–:बनाम:–

1. कुलवीर सिंह पुत्र हरफूल सिंह जाति जटसिख साकिन 16 पीबीएन तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।
2. बलराज सिंह पुत्र हरफूल सिंह जाति जटसिख साकिन 16 पीबीएन तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान ।
3. तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा ।

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए. बाबत खाता विभाजन

–:निर्णय:–

दिनांक :– 12/08/2024

वादिया की ओर से श्री जगजीत सिंह रमाणा अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की ओर से श्री चानणराम अधिवक्ता इस वाद मे आज दिनांक को **अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.** उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अन्तर्गत वाद मे निम्नानुसार खाता विभाजन कर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है–

(क). प्रथम पक्ष/ मिन वादीया का कब्जा काश्त निम्न प्रकार से है–चक 11 पी बी एन के प.नं. 40/306 के किला नं. 10, 11/0.190 उतरी दिशा में व 12/0.190 उतरी दिशा की कुल 0.633 हैक्ट. नहरी

(ख) द्वितीय पक्ष/ प्रतिवादी सं. 1 का कब्जा काश्त सयुक्त रूप से निम्न प्रकार से है–चक 11 पी बी एन के प.नं. 40/306 के किला नं. 21/0.221 दक्षिण दिशा में व 22/0.221 दक्षिण दिशा की कुल 0.442 हैक्ट. नहरी

(ग) द्वितीय पक्ष/ प्रतिवादी सं. 2 का कब्जा काश्त सयुक्त रूप से निम्न प्रकार से है–चक 11 पी बी एन के प.नं. 40/306 के किला नं. 11/0.063 दक्षिण दिशा में व 12/0.063 दक्षिण दिशा में व 19, 20, 21/0.032 उतर दिशा, 22/0.032 उतर दिशा की कुल 0.696 हैक्ट. नहरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.08.20 10:25:30 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होने तथा किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नही होनें की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होनें की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 12/08/2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवम्
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा
पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.08.20 10:25:30 IST
Reason: SelfAttested